प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 29.01.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व कुल 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 10.04.2015 को वादिया श्रीमती नासरा पत्नी मौ0 इरशाद निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार, रामवीर पंडित पुत्र नरेश कुमार, जमील पुत्र ईद मौहम्मद निवासीगण ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व कामेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 दयाराम निवासी ग्राम राजौपुर बहमन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने एक राय होकर वादिनी के पति इरशाद को घर से बुलाकर हत्या कर दी तथा शव को जंगल में छिपा दिया था। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 242/15 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.04.2015 को थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कामेन्द्र उर्फ गुडडू पुत्र स्व0 दयाराम निवासी ग्राम राजोपुर बहमन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्त घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 249/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त उपरोक्त अभियोगो में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.01.2025 को मा0 न्यायालय ADJ-III, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 242/15 से संबंधित अभियुक्तों 1- रामवीर पंडित पुत्र नरेश कुमार 2- अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासीगण ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3- कामेन्द्र उर्फ गुडडू पुत्र स्व0 दयाराम जाट निवासी ग्राम राजोपुर बहमन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मु0अ0सं0 249/15 से संबंधित अभियुक्त कामेन्द्र उर्फ गुडडू पुत्र स्व0 दयाराम निवासी ग्राम राजोपुर बहमन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया तथा उपरोक्त दोनो अभियोगो में कुल 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- रामवीर पंडित पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2- अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

3- कामेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 दयाराम निवासी ग्राम राजोपुर बहमन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना मण्डावर **दिनॉक 29.01.2025**

थाना मण्डावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 28.01.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त रितिक उर्फ पव्वा पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 17/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रितिक उर्फ पव्वा पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 333/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 334/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3.मु0अ0सं0 307/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 412/23 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
5.मु0अ0सं0 420/23 धारा 307/323/504 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
6.मु0अ0सं0 423/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 200/24 धारा 115(2)/352/351(2)(3)/109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
8.मु0अ0सं0 254/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
9.मु0अ0सं0 17/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 लोकेश कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2– मुख्य आरक्षी 62 कपिल शर्मा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
3– मुख्य आरक्षी 08 अमित राणा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 29.01.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा नकबजनी की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तगण (एक पुलिस मुठभेड के दौरान घायल) को चोरी किये गये घरेलू सामान, आभूषण, कम्प्यूटर सम्बंधी उपकरण आदि सहित गिरफ्तार किया गया व 01 साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 28.01.2025 की रात्रि करीब 21.00 बजे थाना नजीबाबाद पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 21/22.01.2025 की रात्रि मे थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत सेन्ट मेरी कॉलोनी मे घटित नकबजनी की घटनाओं से सम्बन्धित फुटेज से मिलते जुलते 02 व्यक्ति बिना नम्बर प्लेट की मोटर साईकिल से गांव अकबरपुर चौगांवा से महावतपुर होते हुए गंगनहर के महावतपुर पुल से ग्राम आजमपुर गाजी उर्फ गुढा सराय की तरफ जाने वाले है। सूचना पर थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा महावतपुर नहर पुल के पास गंगनहर पटरी पर दोनो तरफ रूककर चेकिंग शुरु की गयी। इसी दौरान ग्राम महावतपुर की तरफ से एक मोटर साईकिल पर सवार 02 व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया तो उक्त मोटर साईकिल पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग मे एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा इसका एक साथी जंगल की तरफ भागने लगा, जिसे पुलिस द्वारा मौके से ही पकड।

घायल बदमाश ने अपना नाम चन्दन उर्फ कालू पुत्र राजेश सैनी निवासी मौ0 जैतरा फाटक बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम अकबरपुर चौगांवा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर बताया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 01 लेडीज अंगुठी (पीली धातू) व 01 जोडी कान के झुमके (पीली धातू) बरामद हुआ। पकडे गये दूसरे बदमाश ने अपना नाम हरकिशन उर्फ किशन सैनी पुत्र राजेश सैनी निवासी मौ0 जैतरा फाटक बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम अकबरपुर चौगांवा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर बताया, जिसके कब्जे से एक बैग जिसमें एक लेपटॉप, लेपटाप का चार्जर, कम्प्युटर का माऊस, सरिये का टुकडा तथा 01 अंगूठी (पीली धातू) बरामद हुई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी समीपुर में भर्ती कराया गया। पुलिस मुठभेड की घटना के सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त हरकिशन की निशादेही पर महावतपुर डैम के पास बने खण्डरनुमा टीनशैड से 02 अन्य अभियुक्तगण 1.सुशील कुमार उर्फ छोटू कश्यप पुत्र अनिल कश्यप निवासी ग्राम आजमपुर गाजी उर्फ गूढा सराय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.अभिषेक कश्यप पुत्र सुभाष कश्यप निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 गले का हार (पीली धातू), 01 जोडी पायल (सफेद धातू), 01 चेन (पीली धातू), 01 लेडीज अंगूठी (पीली धातू), एक घडी, 02 गैस सिलेण्डर, एक बिजली की प्रेस, एक एयर गन (पिस्टल), कपडे आदि बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हरिकिशन उर्फ किशन सैनी ने लगभग 01 सप्ताह पहले नजीबाबाद की सेन्टमेरी कॉलोनी मे दिन मे घूमकर रेकी की थी कि सेन्टमेरी स्कूल के पास दो मकानों के ताले बन्द है। दिनांक 21.01.2025 की रात में सभी पांचो अभियुक्तों ने सरिये से 02 मकानो के ताले तोडकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था तथा चोरी किया सभी सामान आपस में बाँट लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.चन्दन उर्फ कालू पुत्र राजेश सैनी निवासी मौ0 जैतरा फाटक बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम अकबरपुर चौगांवा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर (घायल)

2.हरकिशन उर्फ किशन सैनी पुत्र राजेश सैनी निवासी मौ0 जैतरा फाटक बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम अकबरपुर चौगांवा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.सुशील कुमार उर्फ छोटू कश्यप पुत्र अनिल कश्यप निवासी ग्राम आजमपुर गाजी उर्फ गूढा सराय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.अभिषेक कश्यप पुत्र सुभाष कश्यप निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

5.बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा में)

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर,

01 लेपटॉप, लेपटॉप का चार्जर, कम्प्युटर का माऊस, लेपटॉप का बैग,

01 गले का हार (पीली धातू), 01 मर्दाना अंगुठी (पीली धातू), 02 लेडीज अंगूठी (पीली धातू), 01 जोडी कानो के झुमके (पीली धातू), 01 गले की चेन (पीली धातू), 01 जोडी पायल (सफेद धातू), 01 हाथ की घडी,

01 बिजली की प्रेस, 01 एयर गन(पिस्टल), 02 कपडे की जैकेट, 01 कपडे का कोट, 01 गर्म चादर, 02 गैस सिलेण्डर, 01 आलानकब

घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल UP20CR8620 HF DELUXE आदि

अभियुक्त चन्दन उर्फ कालू का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 155/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 229/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0स0 230/2021 धारा 411/413/414/420/465/482 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 54/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 109/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0स0 25/2025 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

7.मु0अ0स0 32/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

अभियुक्त हरकिशन उर्फ किशन सैनी आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 32/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 297/2023 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 331(4)/305ए बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 25/2025 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जयभगवान सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री अवधेश शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. हे0का0 647 यशवीर राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. हे0का0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7. हे0का0 455 विनय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8. चालक हे0का0 राजीव खोखर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9. का0 2534 कमल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
10. का0 210 अशोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
11. का0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
12. का0 2029 अंशुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
13. का0 1971 हरिओम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
14. का0 2440 सुधीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
15. का0 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर